न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 104/2016

उनवान

1. पन्ना पुत्र भींया **मृतक जरियें वारिस**
1/1. सोहनी देवी पत्नी पन्ना सिंह
1/2. घीसा सिंह पुत्र पन्ना सिंह
1/3. नारायण सिंह पुत्र पन्न्ना सिंह
1/4. लाल सिंह पुत्र पन्ना सिंह
1/5. प्रेमदेवी पुत्री पन्ना सिंह
1/6 शांति देवी पुत्र पन्ना सिंह
2. घीसा पुत्र पन्ना समस्त जातिगण रावत निवासीगण ग्राम अंसरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. श्रीमती छोटी पत्नि स्व. मेवा पुत्र स्व. हरजी
2. श्रवण पुत्र स्व. मेवा पुत्र स्व.हरजी
2/1. मतिया पत्नी श्रवण
2/2. नर्बदा पत्नी श्रवण **तर्क**
2/3. धर्मा पुत्र श्रवण
3. भागचन्द पुत्र स्व. मेवा पुत्र स्व. हरजी
4. सावंरा पुत्र स्व. मेवा पुत्र स्व. हरजी
5. रतन पुत्र स्व. मेवा पुत्र स्व. हरजी
6. रतनी पुत्री स्व. मेवा पुत्र स्व. हरजी
7. मीठू पुत्र स्व. बिरदा पुत्र स्व. हरजी
8. जीवराज पुत्र स्व. बिरदा पुत्र स्व.हरजी
9. ओमा पुत्र स्व. बिरदा पुत्र हरजी
10. छोटू पुत्र स्व. माधो पुत्र स्व. हरजी
11. प्रहलाद पुत्र स्व. माधो पुत्र स्व.हरजी
12. रूकमा पुत्री स्व. माधो पुत्र स्व. हरजी
13. श्रीमती गलकू पत्नि माधो पुत्र स्व. हरजी
14. श्रीमती फूफी पत्नि स्व. रामदेव पुत्र स्व. माधो
15. माना पुत्र स्व. रामदेव पुत्र स्व. माधो
16. गोपाल दत्तक पुत्र लाला स्व. हजारी समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम अंसरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
17. उपपंजीयन अधिकारी कार्यालय तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
18. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेंर

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 16 अनुपस्थित, 17 व 18 जरिये राज0 पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 28/3/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अंसरी प.म. भीमपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 806 वंर्किग खसरा नम्बर 925 रकबा 3—13—0 के हाल खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.59 की आराजी वादीगण की क्रयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त अराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 में हरजी पुत्र सालू के नाम खातेदारी थी। हरजी के वारिस हजारी, मेवा, बिरदा, माधो पि. हरजी में से बिरदा व मेवा पि. हरजी के द्वारा दिंनाक 26.09.1977 को अपना 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया। माधो पुत्र हरजी द्वारा अपना हक व हिस्सा 1/2 भूमि दिनांक 17.07.1978 को वादी संख्या 2 को बैचान कर दिया। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 925 में अपना 1/6 हिस्सा लाला पुत्र हजारी व रामदेव पुत्र माधो द्वार दिंनाक 24.11.1975 को अन्य भूमि के साथ बैचान कर दिया है। क्रय दिनांक से वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विक्रेता के वारिसान प्रतिवादीगण है। आराजी मुतनाजा को हाल राजस्व अभिलेख में क्रेता/वादीगण के नाम दर्ज कने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से माधु पुत्र भागू के नाम दर्ज कर हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांज़ी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.59 भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 बावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम ग्राम अंसरी प.म. भीमपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 806 वंर्किग खसरा नम्बर 3—13—0 के हाल खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.59 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013 से 2016 में हजारी पुत्र सालू गुर्जर के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर माधो पुत्र भागू जाति गुर्जर के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख 66 दिनांक 27.6.92 से उक्त आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। हाल जमाबंदी में खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.59 माधो पुत्र भागू के नाम खातेदारी दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र अनुसार मेवा, बिरदा पि. हरजी द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 806 रकबा 6—13—0 में 1/3 हिस्सा पन्ना पि. भिया को बैचान की गयी। इसी प्रकार माधू पुत्र हरजी द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 806 रकबा 3—13—0 का 1/2 हिस्सा [illegible] किया गया। लाला पुत्र हजारी व रामदेव पुत्र मांदू द्वारा पन्ना पुत्र भिंया को [illegible] 6 [illegible] से का बैचान किया गया। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का [illegible] तत्कालीन खातेदार द्वारा किया गया था। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा [illegible] लेखबद्ध विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया गया है। अजमेर जिले में भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के उद्देश्य से उक्त आराजी विक्रेतागण को नियमन की गयी। विक्रेतागण को आराजी मुतनाजा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विक्रेतागण द्वारा भूमि का बैचान प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी को कर कर दिया है। पूर्व में किया गया बैचान पंजीबद्व होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है।

अतः ग्राम अंसरी प.म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.59 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पन्ना बनाम छोटी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 104 / 2016
पेश करने की दिनांक – 17.06.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम अंसरी प.म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.59 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested